संख्या- 36/2023/343/छप्पन-2023-11/2013टी.सी.-2

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2023

विषय: मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) उ0प्र0 को 800 केवीए (Extendable upto 2000 KVA) विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 307/आर0सी0एस0-2023-ए-3/2018 दिनांक 09 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) उ0प्र0 को 800 केवीए (Extendable upto 2000 KVA) विद्युत संयोजन हेतु अवशेष धनराशि रू0 36,33,000.00 (रूपए छत्तीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-02/2023/1704/छप्पन-2022-11/2013टी.सी.-2 दिनांक 04 जनवरी, 2023 द्वारा मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) उ0प्र0 को 800 केवीए (Extendable upto 2000 KVA) विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु धनराशि रू0 1,36,33,310.00 (रूपए एक करोड़ छत्तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ दस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रू0 1.00 करोड़ (रूपए एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निर्गत की गई थी। तत्समय धनराशि रू0 36,33,310.00 (रूपए छत्तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ दस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति बजट अनुपलब्धता के कारण निर्गत नहीं की गई थी।

3- शासनादेश संख्या-16/2023/120/छप्पन-2023-56-1002-001-2-2021 दिनांक 22 फरवरी 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में पूंजीगत लेखा लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन -800- अन्य व्यय-22- अयोध्या में एयरपोर्ट 24 वृहत् निर्माण कार्य" में पुनर्विनियोजन के माध्यम से रू0 36.33 लाख (रूपए छत्तीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धन व्यवस्था की गयी है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट (अयोध्या एयरपोर्ट) उ0प्र0 को 800 केवीए (Extendable upto 2000 KVA) विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु शासनादेश संख्या-02/2023/1704/छप्पन-2022-11/2013टी.सी.-2 दिनांक 04 जनवरी, 2023 द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि रू0 1,36,33,310.00 (रूपए एक करोड़ छत्तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ दस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 36,33,000.00 (रूपए छत्तीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) शासनादेश संख्या-02/2023/1704/छप्पन-2022-11/2013टी.सी.-2 दिनांक 04 जनवरी, 2023 में इंगित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 36,33,000.00 (रूपए छत्तीस लाख तैंतीस हजार मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन किया जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7- 493/दस-2022-23, दिनांक 22 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 36/2023/343(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, अयोध्या।

6- विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।